

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व टिब्बी)

क्रमांक: रीडर/रास्ता/2025/150

दिनांक-25/3/2025

तहसीलदार (राजस्व)  
टिब्बी।

विषय :- स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के संबंध में प्रार्थना  
पत्र स0-03/2020 निर्णय दिनांक 25/3/2025

अनवान :-

1. शैलेन्द्र पुत्र पृथ्वी सिंह जाति जाट निवासी 4 एफटीपी हाल संगरिया तहसील संगरिया  
जिला हनुमानगढ़

प्रार्थी

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र मनीराम जाति विश्‍नोई निवासी गिलवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. गुरजीतसिंह पुत्र जगिन्द्रसिंह जाति कम्योज निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला  
हनुमानगढ़।
3. ज्यानीदेवी पत्नी इन्द्राज जाति विश्‍नोई निवासी गिलवाला तहसील टिब्बी जिला
4. पवन कुमार पुत्र इन्द्राज जाति विश्‍नोई निवासी गिलवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. रामचन्द्र पुत्र इन्द्राज
6. विपुला पुत्री पृथ्वीसिंह जाति जाट निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
7. तहसीलदार राजस्व टिब्बी

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 03/2020 अनवान शैलेन्द्र बनाम  
अमरसिंह आदि में निर्णय दिनांक 25/3/25 में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट  
स्वीकार किया जाकर तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि वे चक 4 एफटीपी  
के प0न0 203/236 के मु0न0 8 के किला न0 5,6,15 में पूर्वी दिशा में उत्तर से दक्षिण (025  
है0) गै0मु0 स्वीकृत शुद्धा खाले की भूमि के चिपते दो-दो विश्वा चौडा रास्ता पूर्वी दिशा में उत्तर  
से दक्षिण स्वीकृत किया जाता है रास्ता की एवज की भूमि के बदले अप्रार्थी स0 2 गुरजीतसिंह  
को प्रार्थी शैलेन्द्र के चिपते किला 16,25 से 6 विश्वा भूमि कम की जाकर अप्रार्थी स0 2 गुरजीत  
सिंह के हिस्सा में तथा अप्रार्थी स0 2 गुरजीत सिंह के किला न0 6 में से 2 विश्वा भूमि अप्रार्थी  
स0 1 अमरसिंह के नाम से दर्ज किया जाकर उपरोक्तानुसार स्वीकृत रास्ता का अंकन राजस्व  
रिकार्ड में किया जावे। यदि किसी सक्षम न्यायालय का रथगन आदेश न हो तो उक्तानुसार  
गै0मु0 रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

(सहायक उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलक्टर)